न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी:–श्रीमति टीना डाबी, आई.ए.एस.
मुकदमा नम्बर:–37/2019 प्रार्थना पत्र

1–श्री टीकमचन्द पिता उदयलाल जैन, उम्र बालिग निवासी जैन स्थानक के पास, बदनोर तहसील आसीन्द हाल तहसील बदनोर जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
2–श्री ललित पिता रामप्रसाद जैन, उम्र बालिग निवासी डी–252, काशीपुरी–भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
3–श्री ओमप्रकाश पिता रामप्रसाद चीपड़, उम्र बालिग निवासी मैनरोड़, 86–कांचीपुरम, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

----प्रार्थीगण

बनाम

1–श्रीमति चन्द्रकांता पत्नि मदनलाल ब्राहम्ण, उम्र बालिग निवासी "सुन्दर निवास" राजकीय माध्यमिक विद्यालय, गांधीनगर–भीलवाड़ा के सामने, मकान नम्बर 45, गांधीनगर–भीलवाड़ा (राजस्थान)
2–श्रीमति वंदना पत्नि अनिल छाजेड़, उम्र बालिग निवासी ए–188, शास्त्रीनगर–भीलवाड़ा (राजस्थान)
3–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

----विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

:: नि र्ण य ::

दिनांक:–30.08.2019

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वकील प्रार्थीगण ने एक र्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विपक्षीगण के रुद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम पांसल पटवार हल्का पांसल तहसील व जिला भीलवाड़ा में थत हाल आराजी नम्बर 3854/1 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा, 3855/3 रकबा 2 बिस्वा कुल किता 2 कबा 2 बीघा 3 बिस्वा भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज रेकार्ड है। विपक्षीगण विवादित आराजियात के ड़ौसी हैं। प्रार्थीगण के खाते व कब्जे काश्त की आराजियात के सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण आये न सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। इस कारण प्रार्थीगण अपने खाते एवं कब्जे काश्त की राजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र ीकार फरमाया जाकर पत्थरगढी किये जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

वकील प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दिनांक 15.1.2019 को पंजीबद्व किया जाकर जरिये मन विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 व 3 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुये। से शामिल पत्रावली किये गये। विपक्षीगण संख्या 1 की ओर से अधिकार पत्र श्री रामनिवास गुप्ता, वोकेट ने प्रस्तुत किया, जिसे दिनांक 6.2.2019 को शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी संख्या 1 गब आयन्दा देना चाहते हैं अवसर दिया जाता हैं। विपक्षी संख्या 3 उपस्थित नही। विपक्षीगण संख्या को कितनी ही मर्तबा विधिवत आवाजे दिलाई जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण ांक 06.02.2019 को एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेशा दिया गया हैं। विपक्षी संख्या 2 सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुआ। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी संख्या 2 की ओर से श्री हैयालाल सैन, एडवोकेट ने अण्डर टेंकिग ली, तथा अधिकार पत्र आयन्दा प्रस्तुत करना चाहते हैं। सर दिया जाता हैं। वकील विपक्षी संख्या 1 की ओर से एक प्रार्थना पत्र दिनांक 8.4.2019 को प्रस्तुत या, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। तथा नकल वकील प्रार्थीगण को दी गयी वकील प्रार्थीगण ा वकील विपक्षी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब नहीं देकर सीधी बहस करनी चाही । उभय ों की बहस सुनी गयी । न्याय हित में वकील विपक्षी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 8.4. 19 को दिनांक 27.5.2019 को खारीज किया गया। वकील विपक्षी संख्या 1 द्वारा दिनांक 17.7.2019 जवाब मय दस्तावेज प्रस्तुत किये। जिसे शामिल पत्रावली किये जाकर नकल वकील प्रार्थीगण को गयी। वकील विपक्षी संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र के खण्डन में प्रस्तुत जवाब के अनुसार कथन किया

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

र्थीगण के नाम अंकित भूमि पर प्रार्थीगण का न तो काश्त की गयी है और न काश्त की जा रही है र मौके पर रिक्त भूमि पड़ी हुई हैं। प्रार्थीगण ने आवेदन पत्र की कलम नम्बर 1 में अंकित पड़ोस स्पष्ट एवं मोगम दर्ज किये है । प्रार्थी ने आराजी की पूर्व एवं दक्षिण दिशा में सिर्फ प्राईवेट कॉलोनी ा पड़ौस होना उल्लेखित किया हैं। उक्त प्राईवेट कॉलोनी कौन–कौन से आराजी नम्बरान में ौन–कौन से खातेदार की होकर किस प्राधिकारी द्वारा कृषि भूमि को कॉलोनी के प्रयोजन से म्परिवर्तित की गयी हैं। उक्त विशिष्टी के अभाव में जवाब दिया जाना संभव नहीं हैं। प्रार्थी जो कि भावशाली व्यक्ति होकर भू–माफिया होकर जमीनों की दलाली का धंधा करते हैं। विधितः सब डिविजनल ऑफिसर को ऐसी प्रकृति के आवेदन की श्रवणाधिकारिता विधितः हॉसिल नहीं हैं। इस प्रकार ाननीय न्यायालय का क्षैत्राधिकार न होने से आवेदन सिर्फ और सिर्फ इसी आधार पर खारीज किये जाने योग्य हैं। और खारीज किया जाना चाहिये। अतः जवाब में निवेदित तथ्यों, विधि की रोशनी में ार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र सव्यय खारीज फरमाया जावें। विपक्षी संख्या 2 को कितनी ही मर्तबा वेधिवत् आवाजे दिलाई जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 17.7.2019 को एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश पारित किया गया।

वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में स्वयं का शपथ–पत्र, जमाबंदी की नकल सम्वत् 2069 से 2072 की फोटो प्रति, नक्शा ट्रेस की नकल, नजरी नक्सा की नकल प्रस्तुत की। जिसे शामिल पत्रावली किये गये। वकील प्रार्थीगण द्वारा और कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर समाप्त किया गया।

वकील विपक्षी संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र के खण्डन में प्रार्थी ने जमाबंदी की नकल सम्वत् 2069 से 2072 की नकल, नकल नक्शा की प्रतिलिपि प्रस्तुत की। जिसे शामिल पत्रावली किये गये। वकील विपक्षी संख्या 1 द्वारा और कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने के कारण दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर समाप्त किया गया।

उभय पक्षों ने बहस करनी चाही। उभय पक्षों की बहस सुनी गयी । बहस के दौरान वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों, दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने की इंस्तदुआ की।

जबकि वकील विपक्षी संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र के खण्डन में प्रस्तुत जवाब तथा दस्तावेज के आधार पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को खारीज किये जाने की इस्तदुआ की। नजीर प्रस्तुत की। लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 24 एवं लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 111 प्रस्तुत की।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया, तथा उभय पक्षों की बहस पर मनन किया गया। विवादित आराजियात ग्राम पांसल पटवार हल्का पांसल तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित होकर प्रार्थीगण के नाम दर्ज हैं। जरिये इंतकाल नम्बर 6385 दिनांक 20.12.2018 के द्वारा विक्रय से खाता प्रार्थीगण के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई। जिसकी ताईद प्रस्तुत राजस्व अभिलेख जमाबंदी की नकल सम्वत् 2069 से 2072 से होती हैं। प्रार्थीगण को अपने खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल काश्त करते समय, फसल काटते समय प्रार्थीगण व विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता हैं। इस कारण प्रार्थीगण अपने खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी कराना चाहते हैं। जबकि विपक्षी संख्या 1 ने केवल मात्र क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकारिता विधित हासिल नहीं होने से पत्थरगढी कराने के अधिकारी नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र को सिद्व कराने में सफल रहने के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, अतः

:: आ दे श ::

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ा स्वीकार किया जाकर कि ग्राम पांसल पटवार हल्का पांसल तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित ाल आराजी नम्बर 3854/11 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा, 3855/3 रकबा 2 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 2 ीघा 3 बिस्वा भूमि की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। त्थरगढ़ी किये जाने के लिये भू–अभिलेख निरीक्षक, पांसल को 300/–रूपये (तीन सौ रुपये) कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी/उपस्थिति में ही पत्थरगढ़ी की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये तहसीलदार, भीलवाड़ा को पालना हेतु लिखा जावें।

(टीना डावी)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 30.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner